### Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 39-Srimadhopur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

## SHRI JHABAR SINGH KHARRA

# V&P BHARNI, TEH-SHRIMADHOPUR, DIST. NEEM KA THANA

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: SIKAR

Date: 03 December, 2023

(Dilip Singh)

Returning Officer

(39) Srimadhopur Assembly Constituency

(Dilip Singh) Returning Officer

(Sub. Divisional Officer & Sub. Divisional Magistrate)
Srimadhopur

Assembly Constituency (039) Srimadhopur

#### प्ररूप 21 ग

### (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

39-श्रीमाधोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि श्री झाबर सिंह खर्रा

मु. पो. भारनी, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला- नीम का थाना जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : सीकर

तारीख: 03 दिसम्बर, 2023

(दिलीप सिंह)

ऑफिसर

रिटर्निंग अधिकारी

(39) श्रीमाधोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(दिलीप सिंह) रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (039) श्रीमाघोपुर (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)